FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा मुकाम खैरथल–तिजारा **उनवान दयानन्द बनाम सरकार जर्ये** तहसीलदार **मुण्डावर** किस्म– **अपील** अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा नम्बर 12/ 88 /2025

दा. दि. 10/06/.....2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	यह पत्रावली अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा पेश की गयी, जो बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जावे। तहत अदालत की मूल पत्रावली तलब हो। पत्रावली आईंदा दिनांक पत्रावली दिनांक 25.06.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	
25/6/2025	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार उपस्थित नहीं है गत आदेश की पालना में तहसीलदार मुण्डावर पत्रावली दिनांक 9/7/2025 को पेश हो। जिला कलक्टर जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	
9/7/2025	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार उपस्थित नहीं है वकील अपीलार को बार-2 आवाजे दिलाई गयी लेकिन वकील अपीलार उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली की गत आदेशिका दिनांक 25/6/2025 में भी वकील अपीलार अनुपस्थित रहा है वकील अपीलार उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलार अदम-पैरवी अदम-पैरवी में खारिज की जाती है ~~जिस~~ आदेशिका की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को रिमांड की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो रजिस्टर से कम की जावे। तहसीलदार दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	